GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 19, 2025

In exercise of the powers conferred by section 9-A of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being satisfied that it is necessary to do so in the public interest, hereby orders that where the outstanding demand of stamp duty is deposited on or before 30.09.2025,-

(i) in stamp cases registered upto 31.12.2020 and are pending or decided by the Collector (Stamps), Chief Controlling Revenue Authority or any other Court, the interest and penalty shall be remitted; and

(ii) in stamp cases registered during the period from 01.01.2021 to 31.12.2022 and are pending or decided by the Collector (Stamps), Chief Controlling Revenue Authority or any other Court, fifty percent of interest and hundred percent penalty shall be remitted.

Note: 1. The amount deposited under section 65 of the said Act for filing revision before the Chief Controlling Revenue Authority shall be adjusted towards the payment of stamp duty.

2. Stamp duty or any other amount already paid shall not be refunded.

3. The benefits under this notification shall be given subject to filing of an undertaking before the Collector (Stamps) concerned to withdraw the pending case.

[No. F.4(2)FD/Tax/2025-110]
By order of the Governor,

(Dr. Khushaal Yadav)
Joint Secretary to the Government.

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 19, 2025

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह समाधान होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना आवश्यक है, इसके द्वारा आदेश देती है कि जहां स्टाम्प शुल्क की बकाया मांग 30.09.2025 को या से पूर्व निक्षिप्त करा दी जाती है,-

(i) 31.12.2020 तक रजिस्ट्रीकृत और कलक्टर (स्टाम्प), मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी या किसी अन्य न्यायालय के समक्ष लंबित या द्वारा विनिश्चित स्टाम्प मामलों में, ब्याज और शास्ति का परिहार किया जायेगा; और

(ii) 01.01.2021 से 31.12.2022 की कालावधि के दौरान रजिस्ट्रीकृत और कलक्टर (स्टाम्प), मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी या किसी अन्य न्यायालय के समक्ष लंबित या द्वारा विनिश्चित स्टाम्प मामलों में, ब्याज के पचास प्रतिशत और शास्ति के सौ प्रतिशत का परिहार किया जायेगा।

टिप्पण: 1. उक्त अधिनियम की धारा 65 के अधीन मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के समक्ष पुनरीक्षण फाइल करने के लिए निक्षिप्त रकम, स्टाम्प शुल्क के संदाय के लेखे समायोजित की जायेगी।

2. पूर्व में संदत्त स्टाम्प शुल्क या किसी अन्य रकम का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

3. इस अधिसूचना के अधीन फायदे संबंधित कलक्टर (स्टाम्प) के समक्ष लंबित मामलों के प्रत्याहरण के लिए वचनबंध फाइल करने के अध्यधीन देय होंगे।

[प.4(2)वित्त/कर/2025-110]
राज्यपाल के आदेश से,

(डॉ॰ खुशाल यादव)
संयुक्त शासन सचिव